उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद – 70/2022

मिटकु बेदिया वगै० बनाम् राज्य सरकार एवं राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
14.03.2023	यह वाद अपीलार्थी मिटकु बेदिया, पिता–स्व० रामदास बेदिया एवं गेदना बेदिया उर्फ भिखमंग बेदिया, पिता–स्व० रामदास बेदिया सभी निवास ग्राम–दोहाकातु, टोला–बागजोबरा, पो०–चुटूपालू, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ का न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–139/2021–22 मिटकु बेदिया वगै० बनाम् अंचल अधिकारी, रामगढ़ एवं अन्य में दिनांक–08.09.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 16 of Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act-1973 के तहत् प्रारम्भ किया गया। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख की माँग की गई। एवं विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया। प्रश्नगत भूमि मौजा–दोहाकातु थाना–रामगढ़ थाना सं०–100 के खाता सं०–61 प्लॉट नं०–581 रकवा–0.25 ए०, भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं, सरकारी अधिवक्ता को सुना, समर्पित आवेदन/कारण पृच्छा, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, कारण पृच्छा एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि केवाला संख्या–692, दिनांक–12.03.1996 द्वारा बिक्रेता जादो गंझू पिता–स्व० फागू गंझू ने क्रेता मिटकु बेदिया एवं भिखमंग बेदिया, पिता–स्व० रामदास बेदिया को मौजा–दोहाकातु थाना–रामगढ़ थाना सं०–100 के खाता सं०–61 प्लॉट नं०–581 रकवा–0.25 ए०, भूमि को बिक्री गई है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–दोहाकातु थाना–रामगढ़ थाना सं०–100 के खाता सं०–61 प्लॉट नं०–581 रकवा–0.25 ए०, भूमि टॉड जमीन सर्वे खतियान में जगरनाथ गंझू के नाम से दर्ज है। अपीलार्थी उक्त भूमि विपक्षी से ही केवाला द्वारा प्राप्त किया है। उन्होनें आगे कहा है कि अज्ञानता वश दाखिल खारिज नहीं करा सकें। भूमि पर निबंधन के पश्चात अबतक मेरे द्वारा जोत–कोड किया जाता है। अंचल अधिकारी, रामगढ़ एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ ने बिना किसी जाँच के आवेदन अस्वीकृत कर दिया	

गया है, जो नियम विरूद्ध है। उन्होनें भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा दिनांक–08.09.2022 पारित आदेश को निरस्त करते हुए रिविजन आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा दिनांक–08.09.2022 पारित आदेश न्याय–संगत एवं विधि–संगत है। उन्होनें आगे कहा है कि अपीलार्थी के द्वारा केवाला संख्या–692, दिनांक–12.03.1996 में जादो गंझू से खाता नं०–61, प्लॉट नं०–581, रकवा–0.25 ए० भूमि खरीदगी किया गया है, वह गलत है। विपक्षी के द्वारा उक्त भूमि की बिक्री नहीं की गई है। उन्होनें रिविजन आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में स्पष्ट है कि मौजा–दोहाकातु थाना–रामगढ़ थाना सं०–100 के खाता सं०–61 प्लॉट नं०–581 रकवा–0.25 ए० भूमि सर्वे खतियान में जगरनाथ गंझू वगै० अंकित है। जो CNT Act के अंतर्गत आते है। अपीलार्थी का कहना है कि उक्त भूमि उनको विपक्षी क्रमांक–2 से निबंधित केवाला से प्राप्त है। लेकिन उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है उक्त केवाला किस सक्षम पदाधिकारी आदेश से निष्पादित किया गया है। इससे संशय उत्पन्न होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–139/2021–22 मिटकु बेदिया वगै० बनाम् अंचल अधिकारी, रामगढ़ एवं अन्य में दिनांक–08.09.2022 को पारित आदेश को यथावत् रखते हुए रिवीजन आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
14.03.2023
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
14.03.2023
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2023.03.20 13:33:14 +05:30
Location: 192.168.0.10